



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 2909-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2012-3(194)-मा०सं०-01/2009

दिनांक: 27 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.06.2012 को सम्पन्न 150वीं बैठक के एजेण्डा आइटम-10 में लिए गये निर्णय अनुसार उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सहायक अभियन्ताओं के राज्य स्तरीय सेवाओं में चयनित होने पर बॉण्ड-मनी से छूट सम्बन्धी उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं० 1065-काविनी/पाकालि-29/09-16-काविनी/96 दिनांक 29.08.2009 (प्रतिलिपि संलग्न) को उत्पादन निगम लि० की सेवाओं में लागू करने हेतु अंगीकृत किया जाता है।

2- यह भी निर्णय लिया गया है कि उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के ऐसे कार्मिक, जो निगम की सेवा छोड़कर उ०प्र० पावर सेक्टर की किसी अन्य कम्पनी में यदि कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं तो उन्हें बॉण्ड मनी की अदायगी से छूट प्रदान कर दी जाय।

संलग्नक:- यथोपरि।


निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 2909 (1)मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2012-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
- 2- निदेशक (कार्मिक/तकनीकी/वित्त), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी, तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, सनेनभद्र/सोनभद्र/कासिमपुर, अलीगढ़/झाँसी/कानपुर।
- 4- मुख्य अभियन्ता (कारपोरेट स्ट्रेटजी) प्रगति परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, गोमती नगर, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य/ईधन/आर एण्ड एम/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- कम्पनी सचिव, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/टाण्डा बाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण/उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- कट फाईल।

आज्ञा से,



(प्रकाश चन्द्र अस्थाना)

अनु सचिव



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 1065-काविनी / पाकालि-29 / 09-16-काविनी / 96

दिनांक: 29 अगस्त, 2009

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं II),
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग,
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

विषय: उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सहायक अभियन्ताओं के राज्य स्तरीय सेवाओं में चयनित होने पर बॉण्ड-मनी से छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषदीय आदेश सं० 1935-काविनी/राविप-29-16-काविनी/96 दिनांक 18 अक्टूबर, 1996 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सेवाओं के साथ-साथ राज्य स्तरीय सेवाओं में भी पावर कारपोरेशन के अभियन्ताओं के चयनित होने की दशा में उन्हें बॉण्ड-मनी से छूट के मामले में निर्णय लेने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया है।

अतः, भविष्य में इस तरह के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(मो० राशिद)

(मो० राशिद)

उप सचिव (काविनी)

सं० 1065-(1) काविनी एवं वे०प्र० - 29 / पाकालि / 2009 - तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के निजी सचिव।

(कमशः.....2)

(2)

3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
5. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन स्थित समस्त अधिकारी/अनुभाग।
7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० - 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppccl.org पर अपलोड करने हेतु।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 28 जुलाई, 2009 को सम्पन्न उन्नयासी (17)/09 बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में।

आज्ञा से

 (मो० राशिद)
 उप सचिव (काविनी)